विचार बिन्दु

जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विद्या फलदायी नहीं होती। –भगवान महावीर

बाल विवाह रोके जाएं, लेकिन कैसे?

बाल विवाह एक ऐसी रीति है जिससे अधिकांश समझदार लोग असहमत हैं और जिसे रोकना चाहते हैं। हमारे देश में लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए लडकी की उम्र अठारह वर्ष और लड़के की उम्र इक्कीस वर्ष होनी चाहिए। अगर इससे कम उम्र में विवाह किया जाता है तो उसके लिए दण्ड के प्रावधान हैं। इस मामले में कानून का उल्लंघन होने पर दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के ज़ुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में महिलाओं को यह विशेष रियायत है कि दोषी पाये जाने पर भी उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है। इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि अगर किसी का बाल विवाह होता है तो वह बालिग़ होने के दो साल के भीतर अदालत में चुनौती देकर इस विवाह को निरस्त करा सकता/सकती है। देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिनका दायित्व बाल विवाह को रोकना, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करवाना और काउंसलिंग करना तथा बाल विवाह के खिलाफ माहौल तैयार करना है। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिन्हें ये सारे अधिकार दिये गए हैं वे इन अधिकारों का कितना पालन करते या कर पाते हैं। सरकारी तंत्र की अपनी सीमाएं हैं जिनसे हम सब भली भांति परिचित हैं। यही वजह है कि यूनिसेफ़ द्वारा ज़ारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां तेईस करोड़ बाल वधुएं हैं और हर साल लगभग पंद्रह लाख लड़कियों का विवाह उनके अठारह वर्ष की होने से पहले ही हो जाता है। यूनिसेफ़ यह भी बताता है कि भारत में सात प्रतिशत महिलाएं 15-19 साल की उम्र में गर्भ धारण कर लेती हैं। देश में इतनी बड़ी संख्या में बाल विवाह के चलन के मूल में हमारा पारंपरिक सोच और ग़रीबी दोनों प्रमुख कारक हैं। बावजूद इस बात के कि कम उम्र में होने वाला विवाह लड़कियों से समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार आदि जैसे उनके अनेक अधिकार छीन लेता है वहीं कच्ची उम्र का मातृत्व उनकी देह और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिप्रद साबित होता है। भारत में सरकार के अलावा अनेक स्वैच्छिक संगठन भी अपने-अपने स्तर पर बाल विवाह पर नियंत्रण करने के लिए सक्रिय हैं और अपने सीमित साधनों के बावजूद लगातार सक्रिय रहकर हालात को बदलने के लिए प्रयत्नरत हैं। नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने सन 2022 में बाल विवाह मुक्त भारत आंदोलन प्रारम्भ किया है जिसका लक्ष्य है कि सन 2030 तक भारत से बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। सत्यार्थी के अनुसार अभी देश में 23.3 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं और वे वर्ष 2025 तक इसे घटाकर दस प्रतिशत तक कर लेना चाहते हैं। वैसे उनका अंतिम लक्ष्य इसे शून्य पर ले आना है।

इसी बीच असम सरकार बाल विवाह को लेकर विशेष रूप से सक्रिय हुई है और उसकी सक्रियता को जहां देर से उठाया गया सही कदम बताया जा रहा है वहीं कुछ बातों को लेकर उसकी आलोचना भी की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि उनकी सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर राज्य व्यापी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। उनके अनुसार, "जो युवक 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करेगा, हम उनके ख़िलाफ़ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा था कि असम में शिशु मृत्यु दर को कम करने और ठाामीण क्षेत्रों में बाल विवाह को रोकने के लिए उनकी कैबिनेट ने सभी 2197 ग्राम सचिवों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह रोकथाम (निषेध) अधिकारी के रूप में नामित करने का फैसला किया है और ये अधिकारी पॉक्सो एक्ट के तहत उन मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे जहां दुल्हन की उम्र चौदह साल से कम है। लड़की की उम्र चौदह साल से अठारह साल के बीच होने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। यहां यह भी जान लिया जाए कि पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज़ एक्ट) ऐसा कानून है जो यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है और जिसमें सात साल से लगाकर उम्र क़ैद तक और अर्थ दण्ड का प्रावधान है। यह बात भी ग़ौर तलब है कि जहां बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की कुछ धाराओं में अभियुक्तों को जमानत मिल जाती है वहीं पॉस्को के अभियुक्तों को जमानत नहीं मिलती है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनके राज्य में मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर बढ़ जाने की सबसे बड़ी वजह बाल विवाह है। एक सरकारी वक्तव्य के अनुसार नेशनल फेमिली सर्वे के आंकड़ों के अनुसार असम में अठारह वर्ष की होने से पहले शादी करने वाली महिलाओं की संख्या बत्तीस प्रतिशत है और वहां बारह प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो बालिग होने से पहले ही गर्भवती हो जाती हैं। ये दोनों ही आंकड़े राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा हैं। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार की सक्रियता के परिणामस्वरूप कुछ ही दिनों में चार हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज कर लिए गए और 2800 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालत यह हो गई कि जेलों में इतनी जगह न होने के कारण इन्हें अस्थायी जेलों में रखा गया। बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई से राज्य में अफरा तफरी का माहौल भी बना। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा हुई कि असम सरकार की इस कार्रवाई का ज़्यादा असर अल्पसंख्यकों पर पड़ा है, सरकार ने इसके जवाब में कहा कि जहां गिरफ्तार लोगों में साठ प्रतिशत मुस्लिम हैं वहीं शेष चालीस प्रतिशत हिंदू भी तो हैं। इस मामले पर असम के एक वरिष्ठ वकील ने जो कहा, वह ध्यातव्य है। उनका कहना है, "बाल विवाह अवैध है। इसमें कोई शक नहीं है। साल 2006 से बाल विवाह कानून का जो प्रावधान है उसके मुताबिक यह एक अपराध है। लेकिन सरकार 2006 से कुछ नहीं कर रही थी। अचानक से इतने सालों बाद अब सरकार लोगों को गिरफ़्तार कर रही है। ये सब ग़रीब लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि इस तरह का कानून मौजूद है। इनमें जागरूकता की कमी है लेकिन वे खूंखार अपराधी नहीं हैं जो इस तरह के अपराध को बार-बार करेंगे। तो इन लोगों को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश हैं कि गिरफ़्तारी अंतिम उपाय होना चाहिए।"

बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए जाएं, इस पर कोई असहमत हो ही नहीं सकता। लेकिन विचार का मुद्दा यह है कि यह काम सुधार के नज़रिये से किया जाए या सज़ा के नज़रिये से। आप किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले को जेल भेज सकते हैं, लेकिन क्या यह सोचने की ज़रूरत नहीं महसूस करेंगे कि अगर वह घर का इकलौता कमाने वाला हो तो उसके पीछे परिवार जन पर क्या गुज़रेगी? जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें किस बात की सज़ा भुगतनी पड़ेगी? असम में ऐसा हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि बाल विवाह का अधिक प्रचलन ग़रीब तबके में है। दूसरी बात यह कि हमारी सरकारों की यह आदत-सी बन चुकी है कि वे लम्बे समय तक सोई रहती हैं और अचानक चौंक कर उठती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करके अपने होने का प्रमाण देने लगती हैं। जैसा अभी असम में बाल विवाह के मामले में हो रहा है वैसा ही हम आए दिन अपने आस-पास अतिक्रमणों के मामले में भी होता देखते हैं। पूरी इमारतें बन कर खड़ी हो जाती हैं, बस्तियां बस जाती हैं। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और अचानक एक दिन अतिक्रमण नष्ट करने वाला दस्ता बुलडोज़र लेकर आता है और सबको रौंद डालता है। क्या यह सही तरीका है? जब इमारत बन रही थी या बस्ती बस रही थी तब सारी सरकारी मशीनरी कहां थी, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? अगर वह सही समय पर सक्रिय हो गई होती तो बड़े नुकसान को रोका जा सकता था। इसी तरह बाल विवाह को होने से रोका जाना चाहिए, बजाय इसके कि जिनके हो गए हैं उन्हें जेल में डाला जाए।

> **मूल बात यह कि बेशक बाल विवाह रोके जाएं। लेकिन ऐसे नहीं। पहला तरीका समझाइश है, और हम सब जानते हैं कि ऐसा करना न तो सरकार के वश में है और न उसकी आदत में यह बात शामिल है। यह काम विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों को करना चाहिए। अभी भी कर रहे हैं लेकिन इस काम में और गति आनी चाहिए। दूसरी बात यह कि कोई ग़लत काम जब होने वाला हो तभी उसे रोक दिया जाए।**

मूल बात यह कि बेशक बाल विवाह रोके जाएं। लेकिन ऐसे नहीं। पहला तरीका समझाइश है, और हम सब जानते हैं कि ऐसा करना न तो सरकार के वश में है और न उसकी आदत में यह बात शामिल है। यह काम विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों को करना चाहिए। अभी भी कर रहे हैं लेकिन इस काम में और गति आनी चाहिए। दूसरी बात यह कि कोई ग़लत काम जब होने वाला हो तभी उसे रोक दिया जाए। हम हर बरस अपने राज्य में देखते हैं कि अक्षय तृतीया के पहले खूब माहौल बनाया जाता है कि बाल विवाह नहीं होने देंगे। लेकिन बात माहौल बनाने से बहुत आगे तक नहीं जा पाती है। क्यों? इस पर विचार होना चाहिए। अंधाधुंध कार्रवाई, भले ही वह किसी सही मकसद से भी हो, समस्या का सही समाधान नहीं है। इस मुद्दे पर खुले मन से विचार करने की बहुत ज़रूरत है।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

पुलवामा शहीदों के प्रति अधिक सद्भावना का परिचय दे सरकार

महावीर सिंह

पुलवामा शहीदों की विरांगनाओ को अपनी मांगे मनवाने के लिए, राजधानी में आकर धरना देने पड़े, ऐसी नोबत ही क्यों आई?

राजस्थान सरकार के बयान पर बयान आ रहे हैं कि शहीदों के परिवर्तन के लिए राजस्थान का पैकेज सर्वोत्तम --तो फिर उन वीरांगनाओं को धरना क्यो देना पड़ रहा है?

राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का बयान आ रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों ने इनको बहका डित और यह राजनीतिक दल इनकी आड़ में घिनोनी राजनीति कर रहे है? क्या यह वीरांगनाएं व उनके परिवार जन इतने अबोध हैं कि कोई भी उन्हें बरगला दे और वे धरना देने लगे, विरोधी दलों के इसरो पर नाचने लगे?

नहीं--सरकार की नीति कागजों में बहुत बढ़िया किन्तु अगर उसका सही सही इम्पलेमेंटसन नही हो तो बढ़िया नीति भी घटिया बन जाती है, यही हो रहा है।

सरकार नें समस्या को सम्पूर्णता में देखने के बजाए, स्टैंड ले लिया कि कुछ मांगे गैरवाजिब है और शहीदों की वीरांगनाओं को आगे कर घिनोनी राजनीति की जा रही है।

शहीदों की याद में स्कूल इत्यादि के नामकरण में 4, 5 साल की देरी, कैसे उचित? उच्चतम स्तर से सरकार इस देरी को कैसे जस्टिफाई कर सकती है? सबसे पहले तो यह समझना होगा कि नाता प्रथा क्या है::--

नाता प्रथा, तथाकथित, उच्च वर्णों यथा ब्राह्मण, क्षित्रय, वैश्य वर्ग में नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य वर्ग से बहुत ही कम युवक सेना में नौकरी करने जाते हैं।

आंदोलनरत तीन वीरांगनाएं ओबीसी, अति पिछड़ा जाति और अनुसूचित जनजाति से आती है। इन जातियों में किसी युवा स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने पर नाता प्रथा (यदि देवर से नाता होता है तो उसे चूड़ा पहनना, कहते हैं) का प्रचलन शदियो से है। यह पुनर्विवाह के समान है।

इस से पर विधवा और पहले पति से बच्चे के उसी परिवार में सम्मान-संरक्षण - हक -हकूक- दर्ज बने रहते हैं।

यह समाजिक हकीकत है। हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स इन वास्तविकताओं को या उनके महत्व से अनिभिज्ञ हो, कानून-कायदों से बंधे हों, किन्तु सरकार के मंत्रों लोग इससे अनिभिज्ञ हो यह कैसे माना जाए??

इनमें से अति पिछड़ा वर्ग की वीरांगना ने तो देवर का चूड़ा पहन भी लिया है। पिछड़ा वर्ग की वीरांगना का बयान आया है कि घरवालों से बात करने पर इस पर विचार करेगी। इनमें से एक वीरांगना का देवर पहले से ही शादीशुदा है तो तर्क दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति दो स्त्रियों को पत्नियां कैसे रख सकता है?

उच्चतम न्यायिक स्तर से भी यह व्याख्या आ गई कि कोई पुरुष और महिला बिना शादी के भी लिविंग इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। शादीशुदा देवर के साथ नाता (चूड़ा पहनना) लगभग लिविंग इन रिलेशनशिप जैसा ही है। सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों को बढ़ावा देना चाहिए।

सरकार को तो शहीदों के बदले किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी देनी है। इसलिए जो व्यक्ति वीरांगना और उसकी संतान का संरक्षण, पालण पोषण, पढाई-लिखाई आदि करा सके तो इन दो वीरांगनाओं की मांग को मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।

समस्या के न्यायोचित निराकरण के लिए नियमों में संसाधनों के सुझाव:-

एक तर्क जिस पर सरकार अड़ी हुई है, वह है कि, यदि शहीद वीरांगना नें पुनः शादी--नाता- कर लिया तो उसके नए पति को नौकरी नहीं मिल सकती, यह शहीद के पुत्र, पुत्री के प्रति नाइंसाफी होगी। प्रथम दृष्ट्या तो बात सही प्रतीत होती है किंतु इसका समाधान निकाला जा सकता है।

(1) यदि वीरांगना, 25 लाख के बदले भूमि, भवन लिए हैं या मांग रखती है तो उस भूमि भवन को वीरांगना और नाबालिग पुत्र के संयुक्त नाम से आवंटन पत्र जारी करें और उसमें शर्त लगा दें कि नाबालिग पुत्र के बालिग होने तक इस आवंटित सम्पति का किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं होगा। आवंटन पत्र पूर्व में जारी हो गया तो संशोधन कर दें।

(2) यदि वीरांगना, भूमि, भवन के बजाय नकद 50 लाख रुपए लेना चाहती है या ले लिए तो तो यह राशि 50 के अनुपात में वीरांगना और उसके नाबालिग पुत्र के मध्य बांट दी जाए। नाबालिग के अकाउंट की संरक्षक, नॉमिनी वीरांगना को बनाया जाए और उसे शर्त से पाबंद किया जाए कि नाबालिग के हिस्से की राशि केवल नाबालिग की उच्च शिक्षा के लिए उपयोग में आएगी। नाबालिग के 15 साल होने से पहले इस अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़-निकासी नहीं की जा सकेगी।

(3) जिस नाता पति को नौकरी दी जाए, उस नियुक्ति पत्र में यह प्रावधान कर दें कि यदि किसी स्टेज पर, वीरांगना अथवा उसके पुत्र की शिकायत पर यह साबित हो जाए कि नौकरी प्राप्त व्यक्ति परिवार-वीरांगना के नाबालिग के पालन-पोषण, शिक्षण में कोताही बरत रहा है तो नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और इस शर्त व इसके अंतर्गत की गई कार्यवाही को किसी न्यायालय में चुनोती नहीं दी जा सकेगी। इस आशय का शपथ पत्र भी नियुक्ति से पहले लिया जा सकता है।

एक वीरांगना को यह कहें कि वह ताजिंदगी विधवा का जीवन बिताए या अगर उसका पुत्र 2,3,4,5 साल का है तो वह उसकी नौकरी के लिए 10,15 साल ईंतजार करे, कितना अन्यायपूर्ण है, इस पर विचार करें, है सर्व शक्तिमान सरकार। सरकार 2,3,4 साल के नाबालिग की 18 साल आगे के लिए तो चिंतित लगती है किंतु इन वीरांगनाओं की वर्तमान वेदनाओं के अनजान बनना चाहती है? हास्यस्पद!!!

तर्क नियमों में प्रावधान नहीं का है तो नियम भी सरकार नें बनाए है, उनमें आवश्यकता-मांग के मध्यनजर सरकारें नियमों में सैंकड़ों बार संसोधन करती है तो अब भी नियम में सरकार संशोधन कर ले। सरकार का काम उचित मांगे मानने का ही तो है।

-महावीर सिंह,
पूर्व आईएएस

निर्माणाधीन सीसी रोड का लोकार्पण होने से पहले उखड़ने लगी गिट्टी और सीमेंट

देवली, (निसं)। पालिका प्रशासन द्वारा देवली शहर के नाम पर बाहरी क्षेत्र में करोड़ों रुपए के खर्च पर सडक का निर्माण कार्य करवाया जा रहे हैं। उक्त निर्माण कार्य मिलीभगत के फेरे में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इसलिए कि संबंधित अधिकारी की मौजूदगी के बीच ठेकेदार द्वारा जिस रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है,

- **देवली पालिका लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड का निर्माण करवा रही है**

देवली में 15 करोड़ रुपए की लागत से बनवाए जा रहे सीसी रोड पर गिट्टी अभी से उखड़ने लग गई है।

इसमें इस्तेमाल की गई घटिया सामग्री के कारण अभी से ही गिट्टी और सीमेंट उखाड़ना शुरू हो गई है। मामला यह भी सामने आया है कि रोड निर्माण कार्य में चढ़ी भ्रष्टाचार की परत को छुपाने के लिए ठेकेदार ने सीमेंट रोड में नजर आ रही गिट्टी को दबाने के लिए केमिकल की पुताई तक करवा दी गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां रोड निर्माण के लिए बनाई गई ड्राइंग और जी शेड्यूल के अनुरूप रोड का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं इधर कोटा रोड पर रोड साइड खुदाई कर के ग्रेवल मुरम कार्य कर किया जा रहा है वहां तक तो ठीक है। लेकिन सीमेंट बजरी और गिट्टी से प्राइमरी लेयर डाली जा रही है। इस पर जी शेड्यूल में सीमेंट का अनुपात क्या ले रखा है इसकी जानकारी से अधिकारियों ने वंचित बनाए रखा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पालिका प्रशासन ने यहां लगभग 5 किलोमीटर तक की सड़क के निर्माण कार्य हेतु लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना बनाई है। उक्त रोड निर्माण कार्य में साफ तौर पर दिखाई दिया गया है कि पालिका के चहेते ठेकेदार ने सीसी रोड के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। जिसके कारण नवनिर्मित सीसी रोड से सीमेंट और गिट्टीया अभी से ही उखड़ जाना शुरू हो गई है।

उल्लेखनीय है कि अभी कुछ माह पहले पालिका प्रशासन ने शहर के जयपुर कोटा रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाने को लेकर उक्त मार्ग पर फिर से रोड निर्माण करवाये जाने की नीति बनाई थी। इस नीति के तहत पालिका प्रशासन ने अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर देने के लिए योजनाबद्ध नीति के तहत ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के आवेदन दौरान एक अनैतिक शर्त यह रखी गई थी कि जिस संवेदक ने नेशनल हाईवे विभाग के कार्य प्राप्त किए हो या नेशनल हाईवे रोड निर्माण कार्य कर चुके हो उसी संवेदक की फर्म को उक्त टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। पालिका की इस अनैतिक शर्त के कारण क्षेत्र के अन्य ठेकेदार उक्त दौरान इस कार्य हेतु आवेदन किए जाने का हिस्सा नहीं बन सके।

ऐसे में उक्त दौरान ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में चंद आमंत्रित प्राप्त आवेदनों के पश्चात पालिका ने अपने चहते ठेकेदार को उक्त रोड निर्माण कार्य का टेंडर जारी कर दिया और रोड का निर्माण किए जाने के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए थे। उस दौरान पालिका प्रशासन ने उक्त रोड के निर्माण को दो हिस्से में करवाने की नीति तैयार की। जिसमें शहर के जयपुर चुंगी नाके से लेकर कोटा चुंगी नाके तक के बीच वाली सड़क के हिस्से को नवनिर्मित रोड निर्माण में शामिल नहीं किया गया। तो वही देखे जाने वाला मामला तो यह है कि पालिका प्रशासन द्वारा लगभग 15 करोड़ रूपए की लागत पर लगभग ढाई प्लस ढाई किलोमीटर के दो अलग-अलग हिस्सों में शहर से जुड़ी सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

इसमें शहर की सीधी सडक होने के बावजूद पेट्रोल पंप चौराहे के कोटा और जयपुर मार्ग को उक्त निर्माणधीन सड़क में क्यों शामिल नहीं किया गया है। यह भी जांच का विषय बनता है। ऐसे में उक्त रोड निर्माण कार्य में हो रही धांधली को लेकर कई बार लोगों से जानकारियां यह भी सामने आई की ठेकेदार उक्त रोड का निर्माण कार्य पालिका में इंद्राज ड्राइंग और जी शेड्यूल में दिए गए सामग्री के अनुसार नहीं कर रहा है। ऐसे हालातों की मिली जानकारी पर जब पालिका के अधिशासी अधिकारी से उक्त रोड निर्माण कार्य से संबंधित ड्राइंग व जी शेड्यूल और कार्य आदेश की जानकारी चाही गई । मगर इस पर अधिशासी अधिकारी की और से कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

सुरेश कुमार मीणा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवली का कहना है कि इस पर ठेकेदार को नोटिस देंगे, वहीं ढाई किलोमीटर की सड़क निर्माण कार्य में एक दो जगह अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक आ गई है तो उसे ठीक करवा दिया जाएगा। यह कोई बड़ी बात नहीं आगे का रोड तो सही बन रहा है ना, अभी ठेकेदार को बिल का भुगतान तो नहीं किया गया है।

ओवरलोड वाहनों व क्रेशर प्लांटों पर उड़ती धूल-धुआं से आमजन परेशान

पाटन, (निसं)। इन दिनों क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के आवागमन से आमजन में भय का माहौल बना हुआ है, वहीं खनन क्षेत्र व क्षेत्र में लगे रोड़ी क्रेशर प्लांटों पर दिन भर उड़ने वाली धूल भरी आंधी से आमजन का जीवन दूभर हो रहा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस बारे में स्थानीय प्रशासन को अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से जानकारी भी दी गई उसके बावजूद भी प्रशासन का ध्यान न तो ओवरलोड की तरफ जा रहा है तथा नहीं धूल के गुब्बारों की तरफ जा रहा है, ऐसे में क्षेत्र के दर्जनों गांव रोज भय के साए में जीने को मजबूर है।

सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा भराला ने जानकारी देते हुए बताया कि पाटन वाटी एवं नीमकाथाना क्षेत्र में स्वीकृत खदानों में भारी ब्लास्टिंग के द्वारा खनन कार्य किया जाता है जिस कारण सैकड़ों मकानों को क्षति हो चुकी है। खदानों से व क्रेशर प्लांटों से दिनभर धूल भरी आंधी चलती है जो स्वास्थ्य के साथ फेफड़ों में पहुंच रही है। खदानों एवं क्रेशर प्लांटों के पास रहने वाले सैकड़ों लोगों को दमा एवं सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया है। पत्थर से भरे ओवरलोड वाहनों को ग्रामीण सड़कों पर एवं मुख्य सड़कों पर दौड़ते

- **स्थानीय प्रशासन को अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से जानकारी भी दी गई**
- **उसके बावजूद भी प्रशासन का ध्यान ओवरलोड वाहनों की तरफ नहीं जा रहा है**

हुए देखा जा सकता हैं इनसे अनेकों बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी है।

कैलाश मीणा ने यह भी बताया कि जीर की चौकी, रायपुर मोड़, गुसाई का मठ, इंदिरा कॉलोनी डोकण, बंजारा बस्ती, न्योराणा स्टैंड, देवी माई मंदिर, मीणा की नांगल, किशोरपुरा, स्यालोदडा, एवं रैला में स्थित स्वीकृत खदान तथा क्रेशर प्लांट लगे हुए हैं जो नियमों को ताक में रखकर कार्य कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में पूरे दिन धूल भरी आंधी उड़ती रहती है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जांच के लिए प्रशासन से कई बार मांग भी कर चुके हैं उसके बावजूद भी प्रशासन क्षेत्र के लोगों की जांच करवाने में नाकाम सिद्ध हो रहा है। इससे साबित होता है कि प्रशासन के इशारे पर ही खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अगर शीघ्र ही प्रशासन ने ओवरलोड एवं क्रेशर प्लांटों से उड़ने वाली धूल धुआं पर कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्र में सैकड़ों लोग समय से पहले ही मौत की आगोश में समा जाएंगे।

राजवीर यादव उपखंड अधिकारी नीम का थाना का कहना है इस बारे में शीघ्र ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया जाएगा तथा कानून विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 13 मार्च, 2023

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2079, विशाखा नक्षत्र प्रात: 8:21 तक, हर्षण योग सांय 5:10 तक, गर करण प्रात: 9:45 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मिथुन, बुध-कुम्भ, गुरू-मीन, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज कुमार और यमधट योग सूर्योदय से प्रात: 8:21 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रात: 8:21 से सूर्योदय तक है। रवियोग प्रात: 8:21 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 9:28 से मंगलवार प्रात: 8:55 तक है। आज श्री एकनाथ षष्ठि है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:11 तक, शुभ 9:40 से 11:08 तक, चर 2:05 से 3:33 तक, लाभ-अमृत 3:33 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 6:44, सूर्यास्त 6:29

मेष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। परिवार में वाद-विवाद बढ़ने का भय बना रहेगा।

वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

मिथुन

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा।

कर्क

परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। मन खिन्न रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में दिन अच्छा रहेगा।

सिंह

घर-परिवार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

कन्या

आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अड़चनें दूर होने लगेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला

आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर

आर्थिक/वित्तीय मामलों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

मीन

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता यथावत बनी रहेगी।